डा0 नवल किशोर चौधरी, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की अध्यक्षता में दिनांक 02.02.2019 को आयोजित प्रधान सहायकों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– <u>उपस्थिति पंजी के अनुसार।</u>

समाहरणालय स्थित सभी विभागों में संधारित आगत–निर्गत पंजी की समीक्षा संबंधित विभाग के प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रधान सहायकों के साथ की गयी, जिसमें निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

1. अधोहस्ताक्षरी द्वारा बराबर यह महसुस किया जा रहा है कि विभागों से प्राप्त पत्रों एवं आम जनता से प्राप्त शिकायतों पर "महत्त्वपूर्ण" "अतिमहत्त्वपूर्ण" या "संचिका में शीघ्र उपस्थापित करें" इत्यादि अंकित किये जाने के बावजूद भी संबंधित विभाग द्वारा ससमय संचिका का उपस्थापन नहीं किया जा रहा है, जो खेदजनक है। *<u>सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों/प्रधान सहायकों को निदेशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित उपरोक्त पत्रों को डाक देखते समय अलग कर लें तथा अविलम्ब उसके निष्पादन हेतु संबंधित संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित कराना सुनिश्चित करें।</u>*
(अनुपालनः–सभी विभागों के प्रखण्ड/जिलास्तरीय पदाधिकारी/प्रधान सहायक, जिला–कैमूर)

2. प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे विभागीय पत्र जो प्रधान सचिव स्तर से सीधे अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित है एवं उसका अनुपालन अधोहस्ताक्षरी स्तर से वांछित है। उस पत्र का निष्पादन संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा करते हुए अपने स्तर से विभाग को पत्र भेज दिया जा रहा है, जो गलत है। *<u>सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वैसे पत्र जो सीधे अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित है वह अनुपालनोपरांत अधोहस्ताक्षरी के स्तर से संबंधित विभाग को जाएगा तथा वैसे पत्र जो किसी भी विभाग के प्रभारी पदाधिकारी को प्रेषित है एवं उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को दी गयी है वैसे मामले में प्रभारी पदाधिकारी उसका अनुपालन करते हुए संबंधित विभाग से पत्राचार करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को देंगे।</u>*
(अनुपालनः– सभी विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी, जिला–कैमूर)

3. जिला स्थापना शाखा के निर्गत पंजी के अवलोकन के क्रम में यह पाया गया कि पंजी में संधारित स्मार को किस पत्र के आलोक में दिया गया है इसका कहीं पंजी में उल्लेख नहीं है तथा इससे पूर्व कितने स्मार दिये जा चुके हैं इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। *<u>सभी विभागों के प्रधान सहायकों को निदेश दिया जाता है कि स्मार पत्र बनाते समय पत्र के दाहिने तरफ स्मार संख्या का स्पष्ट उल्लेख करें तथा इसे पंजी में भी संधारित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि यदि तीन स्मार के पश्चात भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एक अर्द्ध सरकारी पत्र(डी0ओ0 लेटर) भी देना सुनिश्चित किया जाय।</u>*
(अनुपालनः–सभी विभागों के प्रखण्ड/जिलास्तरीय कार्यालय के प्रधान सहायक, जिला–कैमूर)

4. समीक्षा के क्रम में जिला पंचायत शाखा के प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत शाखा में उनके अतिरिक्त तीन अन्य लिपिक हैं, इनमें से दो आगत–निर्गत पत्रों के संधारण के अलावा कुछ भी करने में अक्षम हैं, जिसके कारण कार्यालय कार्य प्रभावित हो रहा है। *<u>प्रधान सहायक, ~~जिला पंचायत~~ शाखा को निदेश दिया जाता है कि कार्यालय में प्रतिनियुक्त सभी लिपिकों को कार्य आवंटित करें यदि कार्य करने में अक्षम है उसे 15 दिनों तक कार्य करने संबंधी प्रशिक्षण दें। यदि उसके बावजूद भी वह कार्य करने में अक्षम हों तो उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु ~~जिला पंचायती राज~~ पदाधिकारी के माध्यम से संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।</u>*
(अनुपालनः–प्रधान सहायक, जिला पंचायत शाखा, कैमूर)

5. *<u>सभी जिला एवं प्रखण्डस्तरीय कार्यालयों के प्रधान सहायकों को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक सोमवार को अपने सहायकों(लिपिको) का लॉगबुक चेक कर अपने मन्तव्य के साथ हस्ताक्षर बनाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही लम्बित पत्रों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग भी</u>*

प्रदान करेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि आगत पंजी के अन्यान्य कॉलम में पत्र के निष्पादन संबंधी विवरणी अंकित की जाय।
(अनुपालनः—सभी विभागों के प्रखण्ड/जिलास्तरीय कार्यालय के प्रधान सहायक, जिला—कैमूर)

6. सभी प्रधान सहायकों को निदेश दिया जाता है कि अगली बैठक में अपने कार्यालय में लंबित पत्रों से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन लाना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालनः—सभी विभागों के प्रखण्ड/जिलास्तरीय कार्यालय के प्रधान सहायक, जिला—कैमूर)

9.2.19
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

ज्ञापांक 672 /गो०, दिनांक 09-02-19

तेलिपि :— सभी विभागों के जिला एवं प्रखण्डस्तरीय कार्यालयों के प्रधान सहायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

तेलिपि :— सभी जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी, जिला—कैमूर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

9.2.19
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।